

**मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल**

क्रमांक एफ 3-22/2012/26-2
प्रति,

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2012
25-6-2013

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश। 3. समस्त संयुक्त संचालक/
उप संचालक, सामाजिक न्याय,
मध्यप्रदेश। 5. समस्त जिला परियोजना अधिकारी,
सर्व शिक्षा अभियान, मध्यप्रदेश। 7. समस्त जिला संयोजक,
अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश | <ol style="list-style-type: none"> 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, मध्यप्रदेश 4. समस्त उप संचालक,
स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश। 6. समस्त सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास, मध्यप्रदेश। 8. समस्त विकास खण्ड अधिकारी,
विकास खण्ड, मध्यप्रदेश |
|---|--|

विषय :- निःशक्त विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति, दृष्टिबाधितों को वाचक भत्ता और उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि के सम्बन्ध में निर्देश।

-0-

राज्य सरकार द्वारा निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 2 (झ) में परिभाषित निःशक्तजन जिनकी निःशक्ता 40 प्रतिशत या अधिक है, के लिए अधिनियम के अध्याय-5 शिक्षा के अन्तर्गत किये गये प्रावधानों को ध्यान में रखते हुये तथा समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अवयवों प्रक्रियाओं के सरलीकरण वा दरों का युक्तीयुक्तकरण करते हुये निःशक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति/दृष्टिहीन छात्रों को वाचक भत्ता, बोर्ड की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व में जारी किये गये परिपत्र क्रमांक एफ 3-129/2007/26-2 दिनांक 8 फरवरी 2008 को अतिक्रमित करते हुए नये नियम तत्काल प्रभाव से लागू किये जाते हैं जो इस प्रकार हैं:-

1 निःशक्त विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जा रही अवयवों के अन्तर्गत दरें निम्नानुसार हैं :-

1 दरें :-

1.1 छात्रवृत्ति की दरें :-

क्र०	स्कूल का स्तर	कक्षा	दर	दस माह हेतु
1.	प्राथमिक एवं मिडिल स्तर	1 से 8 तक	रु० 50/-	रु० 500/-
2.	माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक स्तर/ आईटीआई	9 से 12 तक	रु० 100/-	रु० 1000/-
3.	स्नातक/स्नातकोत्तर/पॉलीटेक्नीक	सभी संकाय को एक समान	रु० 200/-	रु० 2000/-

1.2 दृष्टिबाधित निःशक्त को वाचक भत्ता :-

क्र०	स्तर	दर	दस माह हेतु
1.	स्नातक/पॉलीटेक्नीक	रु० 100/-	रु० 1000/-
2.	स्नातकोत्तर	रु० 125/-	रु० 1250/-
3.	तकनीकी पाठ्यक्रम	रु० 150/-	रु० 1500/-

1.3 प्रोत्साहन राशि :-

परीक्षा का स्तर	नियमित प्रवेश	प्रोत्साहन राशि
कक्षा 8वीं	कक्षा 9वीं	रु0 2500/- एकमुश्त
कक्षा 10वीं	कक्षा 11वीं	
कक्षा 12वीं	स्नातक (किसी भी संकाय में प्रवेश लेने पर)	रु0 3000/- एकमुश्त

2 छात्रवृत्ति, वाचक भत्ता, प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने के लिये निम्नानुसार पात्रता की शर्तें रहेंगी :-

- 2.1 विद्यार्थी मध्यप्रदेश का निवासी हो तथा शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।
- 2.2 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता वाले विद्यार्थी जिनको चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।
- 2.3 विद्यार्थी के माता-पिता अथवा अभिभावक की वार्षिक आय रु0 96,000/- से अधिक न हो।
- 2.4 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि शासकीय स्कूलों में नियमित परीक्षार्थी के रूप में बोर्ड की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किये हों।

3 छात्रवृत्ति/वाचक भत्ता/प्रोत्साहन राशि स्वीकृत करने के लिये पदाभिहित अधिकारी/अपीलीय अधिकारी एवं समय-सीमा लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के अन्तर्गत रहेगी :-

क्र.	योजना का नाम	सहायता का विवरण	स्वीकृतकर्ता/पदाभिहित अधिकारी		प्रथम अपील		द्वितीय अपील	
			पदनाम	समय सीमा	पदनाम	समय सीमा	पदनाम	समय सीमा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	छात्रवृत्ति	कक्षा 1 से 5 तक कक्षा 6 से 8 तक	प्रधान पाठक, शासकीय माध्यमिक शाला	प्रथम किस्त सितम्बर, द्वितीय किस्त फरवरी	जिला शिक्षा अधिकारी	30 दिवस	मु0का0अ0 जि0पं0	30 दिवस
		कक्षा 9 से 12वीं	प्राचार्य, शासकीय हाईस्कूल/उ0 मा0 विद्यालय	प्रथम किस्त सितम्बर, द्वितीय किस्त फरवरी	जिला शिक्षा अधिकारी	30 दिवस	मु0का0अ0 जि0पं0	30 दिवस
		अशासकीय शैक्षणिक संस्थाएं	प्राचार्य, हाईस्कूल/उ0 मा0 विद्यालय (जि.शि.अधि. द्वारा अधिकृत)	प्रथम किस्त सितम्बर, द्वितीय किस्त फरवरी	जिला शिक्षा अधिकारी	30 दिवस	मु0का0अ0 जि0पं0	30 दिवस
		स्नातक/स्नातकोत्तर/पोलिटेक्निक	संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय	प्रथम किस्त सितम्बर, द्वितीय किस्त फरवरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि0पं0	30 दिवस	कलेक्टर	30 दिवस
2.	दृष्टिबाधित वाचक भत्ता	स्नातक/स्नातकोत्तर/पोलिटेक्निक	संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय	प्रथम किस्त सितम्बर, द्वितीय किस्त फरवरी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि0पं0	30 दिवस	कलेक्टर	30 दिवस
3.	प्रोत्साहन राशि	उत्कृष्ट श्रेणी के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना	संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय	30 दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि0पं0	30 दिवस	कलेक्टर	30 दिवस

4 आवेदन प्राप्त करने एवं जमा करने की प्रक्रिया :-

4.1 कक्षा 1 से 12 तक की छात्रवृत्ति एवं प्रोत्साहन राशि हेतु-

- 4.1.1 विद्यार्थी जिस शाला में अध्ययनरत है उस शाला से उसे आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त होगा। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गत वर्ष प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के मान से संबंधित शाला को आवेदन पत्र उपलब्ध करायेगे।
- 4.1.2 विद्यार्थी जिस शाला में अध्ययनरत है उसे उसी शाला में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- 4.1.3 निःशक्त विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 8 तक के लिये एक बार आवेदन करना होगा। 9 वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर छात्रवृत्ति का नवीनीकरण किया जायेगा। केवल आय सम्बन्धी पुष्टि विद्यार्थियों को करनी होगी।
- 4.1.4 कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के लिये समेकित छात्रवृत्ति योजना का आवेदन पत्र परिशिष्ट-अ है, जिसमें निःशक्त विद्यार्थी अपनी निःशक्तता का विवरण प्रस्तुत करेगा।

4.2 स्नातक, स्नातकोत्तर, पोलिटेक्निक के निःशक्त छात्रों हेतु छात्रवृत्ति, वाचक भत्ता एवं प्रोत्साहन राशि

- 4.2.1 विद्यार्थी जिस महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था में अध्ययनरत है उस संस्था से ही पत्र निःशुल्क प्राप्त होगा। संबंधित जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय द्वारा गत वर्ष प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के मान से संबंधित संस्थाओं को आवेदन पत्र उपलब्ध करायेगे। आवेदन पत्रों के मुद्रण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति जिले की निराश्रित निधि के ब्याज की राशि से की जा सकती है।
- 4.2.2 विद्यार्थी जिस संस्था में अध्ययनरत है उसे उसी संस्था में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
- 4.2.3 विद्यार्थी द्वारा जमा किया गया नवीन/नवीनीकरण का आवेदन पत्र संस्था प्रमुख, अनुशंसा के साथ संबंधित जिले के संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय को प्रेषित करें।
- 4.2.4 स्नातक, स्नातकोत्तर, पोलिटेक्निक के निःशक्त छात्रों के लिए आवेदन पत्र परिशिष्ट-ब है।

5 छात्रवृत्ति एवं वाचक भत्ते का भुगतान :-

- 5.1 छात्रवृत्ति एवं वाचक भत्ते की प्रथम किस्त गाह सितम्बर में तथा दूसरी किस्त माह फरवरी में भुगतान की जायेगी।
- 5.2 छात्रवृत्ति/वाचक भत्ता/प्रोत्साहन राशि का भुगतान विद्यार्थी के बैंक के बचत खाते में ई-बैंकिंग के माध्यम से किया जायेगा। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थी जिनका स्वयं का बैंक में खाता नहीं है उनको छात्रवृत्ति का भुगतान माता-पिता/अभिभावक के बैंक बचत खाते में ई-बैंकिंग के माध्यम से होगा।
- 5.3 कक्षा 1 से 12 तक छात्रवृत्ति स्वीकृत कर भुगतान कराने का दायित्व स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारी का होगा।
- 5.4 स्नातक, स्नातकोत्तर, पोलिटेक्निक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, वाचक भत्ता एवं प्रोत्साहन राशि स्वीकृत कर भुगतान करने का दायित्व संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय का होगा।

6 प्रोत्साहन राशि -

- 6.1 उत्कृष्ट विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि एकमुश्त केवल एक वर्ष के लिये उसके बैंक बचत खाते में ई-बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेगी। इसके लिये विद्यार्थियों को पृथक से आवेदन संस्था से अर्पणित कराकर संगत संसाधन /

संचालक सामाजिक न्याय के कार्यालय को दिनांक 30 अगस्त के पूर्व प्रेषित करना होगा।

7 छात्रवृत्ति हेतु आवंटन -

छात्रवृत्ति हेतु आवंटन आयुक्त सामाजिक न्याय द्वारा आयुक्त लोक शिक्षण को उपलब्ध कराया जायेगा जो कि निम्नांकित मांग संख्या के अंतर्गत विकलनीय होगा :-

- 7.1 आयोजना-मांग संख्या -80-त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता-शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम (101) निर्धन परिवारों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना, 0101- राज्य आयोजना (सामान्य) (3923) विकलांगों तथा अपंगों की सहायता के लिए योजना-41-छात्रवृत्तियां और वृत्तियां, 002-छात्रवृत्ति के अंतर्गत विकलनीय होगा।
- 7.2 आयोजनेत्तर-मांग संख्या-80-त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता-शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम (101) निर्धन परिवारों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना, (3923) विकलांगों तथा अपंगों की सहायता के लिए योजना, (9999-आयोजनेत्तर)- 41 - छात्रवृत्तियां और वृत्तियां, 002-छात्रवृत्ति के अंतर्गत विकलनीय होगा।
- 7.3 आयोजना-मांग संख्या -15-अनुसूचित जाति उपयोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता-शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण-200-अन्य कार्यक्रम-0103-अनुसूचित उपयोजना (75) अंधमूक बधिरों को वृत्तियां-42-सहायक अनुदान, 009-पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान, के अंतर्गत विकलनीय होगा।
- 7.4 आयोजना- मांग संख्या 52-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता-शीर्ष 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, 02-समाज कल्याण-101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण, 0102 -आदिवासी क्षेत्र उपयोजना(75) अंधमूक बधिरों को वृत्तियां 42-सहायक अनुदान, 09-पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से योजना क्रियान्वयन हेतु अनुदान अंतर्गत विकलनीय होगा।

8 उपयोगिता प्रमाण-पत्र :- आवंटित बजट के उपयोग का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष के अंत में आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा आयुक्त, सामाजिक न्याय को निर्धारित प्रपत्र में छात्रवृत्ति वितरण का कक्षावार विवरण उपलब्ध कराना होगा। उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रारूप परिशिष्ट-"स" पर है।

9 पर्यवेक्षण :-

उप संचालक/संयुक्त संचालक/जिला शिक्षा अधिकारी/विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित विद्यालय/महाविद्यालय/संस्था में अध्ययनरत निःशक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ मिल रहा है अथवा नहीं के लिये शैक्षणिक संस्थाओं में जाकर पर्यवेक्षण का कार्य करेंगे तथा जिन पात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है उसका कारण को ज्ञात कर पात्रता आने पर छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र भरवायेंगे और ऐसे प्रकरण की जानकारी कलेक्टर को देंगे।

10 अपील :-

निःशक्त छात्रवृत्ति/वाचक भत्ता/प्रोत्साहन अस्वीकृत होने की स्थिति में अथवा किसी भी तरह की शिकायत होने पर अपील/अभ्यावेदन की सुनवाई एवं निराकरण लोक

सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत पैरा तीन में उल्लेखित सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जावेगी।

11 डाटा बेस :-

स्पर्श अभियान के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किये गये कार्यक्रम के तहत निःशक्त विद्यार्थियों का डाटा बेस तैयार किया जायेगा जो कि जिले के पदाभिहित संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं स्कूल जहां सुविधा हो, वहां रखा जायेगा तथा आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग की वेबसाइट www.mpssc.mp.nic.in/socialjustice पर अपलोड किया जायेगा।

12 समीक्षा :-

समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा जिला स्तर पर वर्ष में चार बार निःशक्त छात्रवृत्ति की समीक्षा की जायेगी। समीक्षा के द्वारा आवंटन एवं नीतिगत मुद्दों के लिए आयुक्त, सामाजिक न्याय के ध्यान में बिन्दु लाये जायेंगे। शेष बिन्दुओं का निराकरण जिला स्तर पर किया जायेगा। समीक्षा के दौरान कलेक्टर स्पर्श अभियान के अन्तर्गत जो आंकड़े निःशक्तों के प्राप्त हुए हैं उससे अनुपात में उनके जिले में स्कूल/महाविद्यालय में प्रवेश तथा प्रवेशित निःशक्त विद्यार्थियों को पात्रता आने पर छात्रवृत्ति की स्वीकृति/भुगतान की स्थिति आदि की समीक्षा करेंगे।

संचालनालय स्तर पर समीक्षा आयुक्त, सामाजिक न्याय द्वारा की जायेगी। जिलों से मांग प्राप्त होने पर मांग के अनुरूप राशि का आवंटन आयुक्त, सामाजिक न्याय द्वारा तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार।

(अरुणा शर्मा)

अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग,

क्रमांक एफ 3- 22/2012/26-2

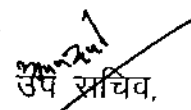
भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 2012

प्रतिलिपि :-

25-6-2013

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय मंत्रालय भोपाल।
2. स्टॉफ ऑफिसर मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, सामाजिक न्याय विभाग, मध्यप्रदेश।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर, मध्यप्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक/स्कूल शिक्षा/उच्च शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/तकनीकी शिक्षा।
6. आयुक्त, सामाजिक न्याय मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. कुल सचिव, विश्वविद्यालय- भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/जबलपुर/सागर/रीवा/ग्वालियर की ओर पालनार्थ।
8. कुल सचिव, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल।
9. कुल सचिव, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
10. कुल सचिव, ग्रामोद्योग विश्वविद्यालय, चित्रकूट जिला सतना।

11. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा विभाग— भोपाल/इन्दौर/उज्जैन/रीवा/जबलपुर/सागर/ग्वालियर की ओर समस्त शासकीय/स्वशारी महाविद्यालयों के प्राचार्यों को पृष्ठांकित करने हेतु।
12. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय—भोपाल/इन्दौर/जबलपुर/ग्वालियर/रीवा की ओर पालनार्थ।
13. प्राचार्य, मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एम.ए.एन.आई.टी.), भोपाल की ओर पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामाजिक न्याय विभाग

परिशिष्ट - अ

म.प्र. शासन
“ स्कूल शिक्षा विभाग ”
“ समेकित छाजवृत्ति योजना ”
आवेदन पत्र
शैक्षणिक सत्र 2012-13

(संस्था प्रमुख द्वारा भरा जम्ये)

!! संस्थागत विवरण !!

जिले का नाम		कोड नम्बर	
विकास खण्ड का नाम		कोड नम्बर	
जनशिक्षा केन्द्र(संकुल)		कोड नम्बर	
स्कूल का स्तर प्राथमिक/माध्यमिक हाईस्कूल/उ०मा०वि०		कोड नम्बर	
स्कूल का नाम		कोड नम्बर	

(हेडमास्टर/प्राचार्य)
हस्ताक्षर/सील

!! विधाथी का विवरण !!

1) छात्र/छात्रा का स्कॉलर नम्बर

जिला वि.स. संस्था पंजीयन क्रमांक

फोटो

2) कक्षा सेक्शन

3) संस्था में प्रवेश की तिथि

(संस्था द्वारा भरा जाये)

1) छात्र/छात्रा का नाम :-
(हिन्दी में)

[illegible]

2) छात्र/छात्रा का नाम :-
(अंग्रेजी में)

[illegible]

3) गत् उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण :-

परीक्षा का नाम	संस्था का नाम	परीक्षा परिणाम	श्रेणी

4) पिता का नाम

[illegible]

5) माता का नाम :-

[illegible]

6) A. रथाई पता :—

म०क्र०			वार्ड	क्रमांक								
					पिन							

B.पत्र व्यवहार का पता :-

म०क्र०		याई	क्रमांक							
				पिन						

7) दूरभाष क्रमांक :-

[illegible]

8) जन्मतिथि :-

--	--	--	--

प्रवेश के समय आयु

□

9) लिंग / वर्ग / जाति / धर्म :-

पु० / M स्त्री / F

वर्ग

ST\SC\OBC\Gen\Po-

1. જાતિ

[illegible]

ધર્મ

!! विद्यार्थी/माता/पिता का बचत बैंक खाता विवरण !!

10) A. बैंक का नाम :-

[illegible]

B. खाता क्रमांक :-

[illegible]

C. कोड नम्बर :-

--	--	--	--	--	--

11) विद्यार्थी के माता/पिता की आय का स्रोत :-

विद्यार्थी के माता/पिता की वार्षिक आय रु:- (शब्दों में).....

नियोजन का विवरण :- A. पद :-

B. संस्था का नाम :-

C. नियोजन का प्रकार :- स्थाई/अस्थायी/अंशकालीन

12) आवेदित छात्रवृत्ति/प्रोत्साहन राशि :-

निःशक्तता संवर्ग

2 प्रावीण्यता संवर्ग

13) निःशक्ता का विवरण
(अस्थि बाधित / दृष्टि बाधित /
श्रवण बाधित मंदबुद्धि)

- | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| • निःशक्तता का प्रकार | | | | | | | | | |
| • निःशक्तता का प्रतिशत | | | | | | | | | |
| • निःशक्तता प्रमाण पत्र का क्रमांक | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| • जारी करने का दिनांक
DD/MM/YYYY | <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> <td style="width: 20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| • जारी करने वाले
चिकित्सक/ संस्था का नाम | | | | | | | | | |

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

14) प्रोत्साहन राशि :-

- | | |
|--------------------------|-------|
| ● बोर्ड परीक्षा का नाम | |
| ● रोल नम्बर | |
| ● बोर्ड का नाम | |
| ● शैक्षणिक संस्था का नाम | |
| ● कुल अंक | |
| ● प्राप्तांक | |
| ● श्रेणी | |
| ● मेरिट में स्थान | |

// घोषणा पत्र //

सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ, कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण रूप से सत्य है, यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मुझे छात्रवृत्ति/वाचक भत्ता एवं प्रोत्साहन राशि से वंचित किया जा सकेगा।

पिता/माता/अभिभावक
का नाम एवं हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का पूरा नाम
एवं हस्ताक्षर

मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय विभाग
स्नातक/स्नात्कोत्तर/पॉलीटेक्नीक के निःशक्त विद्यार्थियों के लिए
छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र (नवीन/नवीनीकरण)

!! विद्यार्थी का विवरण !!

- 1) छात्र/छात्रा का स्कॉलर नम्बर

--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--	--

जिला वि.स. संस्था पंजीयन क्रमांक
- 2) कक्षा संकाय सेक्शन
- 3) शैक्षणिक संस्था का नाम
- 4) शैक्षणिक संस्था में प्रवेश की तिथि
(संस्था द्वारा भरा जाये)

फोटो

- 1) छात्र/छात्रा का नाम :-
(हिन्दी में)
- 2) छात्र/छात्रा का नाम :-
(अंग्रेजी में)
- 3) गत वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण :-

[illegible]

- 4) पिता का नाम :-
5) माता का नाम :-
6) A. स्थाई पता :-

परीक्षा का नाम	संस्था का नाम	परीक्षा परिणाम	श्रेणी

[illegible]

- 6) A. स्थाई पता

म०क्र०			घाई	क्रमांक						
					पिन					

- B.पत्र व्यवहार का पता—

मक्र०			वर्ग	क्रमांक							
					पिन						

- 7) दूरभाष क्रमांक :-

[illegible]

- 8) जन्मतिथि :-

प्रवेश के समय आयु :

- 9) लिंग / वर्ग / जाति / धर्म :-

पु० / M स्त्री / F वर्ग STSC\OBC\Gen\Poor\UM धर्म जाति

H/M/C/S/B/Oth

!! विद्यार्थी/माता/पिता का बचत बैंक खाता विवरण !!

- 10) A. बैंक का नाम :-
- B. खाता क्रमांक :-
- C. कोड नम्बर :-

- 11) विद्यार्थी के माता/पिता की आय का स्रोत :-
- विद्यार्थी के माता/पिता की वार्षिक आय रु.:-(शब्दों में).....
- नियोजन का विवरण :- A. पद :-
- B. संस्था का नाम :-
- C. नियोजन का प्रकार :- स्थाई/अस्थायी/अंशकालीन

- 12) निःशक्ता का विवरण
(अस्थि बाधित/दृष्टि बाधित/
श्रवण बाधित मंदबुद्धि)

- निःशक्ता का प्रकार
- निःशक्ता का प्रतिशत
- निःशक्ता प्रमाण पत्र का क्रमांक
- जारी करने का दिनांक DD/MM/YYYY
- जारी करने वाले चिकित्सक/ संस्था का नाम
- स्पर्श कार्ड का क्रमांक

// घोषणा पत्र //

सत्य निष्ठा से घोषणा करता हूँ, कि उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और प्रमाण पत्रों के आधार पर पूर्ण रूप से सत्य है, यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मुझे छात्रवृत्ति/वाचक भत्ता एवं प्रोत्साहन राशि से वंचित किया जा सकेगा।

पिता/माता/अभिभावक
का नाम एवं हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा का पूरा नाम
एवं हस्ताक्षर

स्थान
दिनांक :

परिशिष्ट-“स”

उपयोगिता प्रमाण पत्र

आयुक्त, सामाजिक न्याय संचालनालय म0प्र0 भोपाल द्वारा निःशक्त छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति वितरण हेतु वर्ष में राशि रु0 का आवंटन/बजट प्रदाय किया है, जिसके किये गये उपयोग का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र०	वर्ष	प्राप्त आवंटन	कक्षा स्तर	विद्यार्थियों की संख्या		स्वीकृत एवं वितरित राशि	शेष राशि
				बालक	बालिका		
1							
2							
	योग						

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त तालिका अनुसार वर्ष में प्राप्त आवंटन में से कुल छात्र-छात्राओं को राशि रु0 की छात्रवृत्ति वितरित की गई है ।

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर